

समाज कल्याण विभाग
मूक एवं बधिर विद्यालय परिसर,
दिल्ली गेट, नई दिल्ली-02

अंतरांकित प्रश्न संख्या:- 192

दिनांक - 22.03.2018

प्रश्नकर्ता - श्री पंकज पुष्कर


वया समाज कल्याण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
(क)	दिल्ली में कितने लोगों को वर्तमान में वृद्धावस्था, विकलांगता या विधवा पेन्शन मिल रही है;	वृद्धावस्था पेन्शन- 432970 विकलांग पेन्शन- 76347 विधवा पेन्शन- 197999
(ख)	सरकार का इस सन्दर्भ में क्या आंकलन है कि वृद्धावस्था, विकलांगता या विधवा पेन्शन पाने के वास्तविक हकदार पूरे दिल्ली में कुल कितने हैं;	ऐसा कोई सर्वेक्षण विभाग में उपलब्ध नहीं है।
(ग)	क्या पेन्शन पाने के लिए कोई अधिकतम आय की सीमा निर्धारित है;	जी हाँ।
(घ)	यदि हाँ, तो लाभार्थी के द्वारा दी गयी आय से सम्बन्धित जानकारी के सत्यापन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;	लाभार्थी के स्वप्रमाणित आय प्रमाणपत्र को ही आवेदन हेतु नियमानुसार वैध माना जाता है।
(च)	क्या यह सत्य है कि वृद्धावस्था पेन्शन की वर्तमान नीति 'पहले आओ, पहले पाओ' पर आधारित है	जी हाँ।
(छ)	यदि हाँ तो क्या यह भी सत्य है कि इस योजना से कई बार जरूरतमंद लोग छूट जाते हैं।	जी हाँ, संभव हो सकता है।

Signature

Director (Social Welfare)
Social Welfare Department
Govt. of NCT of Delhi
G.L.N.S. Complex, Delhi Gate
New Delhi-110002

(क)	शक्ति का उपयोग किस दिशा में करना है ?	
(ख)	क्या सरकार के संज्ञान में इस तरह की शिकायतें आती रही हैं ?	केवल वृद्धावस्था पेंशन योजना में लाभार्थियों की क्षमता सीमा (Capping Limit) विधानसभा क्षेत्रानुसार निर्धारित है जिसके पूर्ण हो जाने पर नए आवेदन ऑनलाइन आवेदन स्वीकार्य नहीं होते हैं।
(ग)	क्या यह सत्य है कि सरकार एक वरीयता सूची बनाकर ज्यादा जरूरतमंद लोगों को पेंशन देने की प्रक्रिया अपनाने पर विचार कर रही है ?	वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
(घ)	यदि हाँ तो इस दिशा में सरकार क्या प्रयास कर रही है; और	
(ङ)	यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?	यह एक नीतिगत मामला है।


 Director (Social Welfare)
 Social Welfare Department
 Govt. of NCT of Delhi
 G.L.S. Complex, Ghat Gate
 New Delhi-110002

(क) यदि हाँ तो इस दिशा में सरकार क्या प्रयास कर रही है; और (ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?